

कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक 17/11

1 बार (नए नियंत्रण) 2000

दिनांक : 19-9-2011

श्री/ श्रीमती/ श्री ⁴⁹ ~~मि. डी. डी. मल्लिकार्जुन~~ ^{मि. डी. डी. मल्लिकार्जुन}

626/11

~~एन.ए.सी. माला ल एल.ए. माला~~

R/O A-34 ~~अनुमति प्रदान करने के लिए~~

आपके पत्र दिनांक ~~16/5/2011~~ मानचित्र नं० ~~17/1/01~~ के संदर्भ में आपके

प्रस्तावित ~~अनुमति~~ भवन निर्माण को मॉड्यूल / कालोनी / ग्राम ~~मि. डी. डी. मल्लिकार्जुन~~


शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति ~~अनुमति~~ नगर ~~मेरठ~~

नियोजन एवम् विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।


- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
- मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
- जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 के अधीन दण्डनीय है।
- उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
- स्वीकृत मानचित्र का सेंट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि भौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
- आप भवन उप-नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
- निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
- प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायो) करेंगे।
- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य सुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रहता है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 28 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र भी जोती है।

प्रतिस्तिपि :- अवर अभियन्ता  को प्रेषित।

मासिक भुगतान के लिए - 

CT नगर नियोजन
प्रभारी मानचित्र 
जोन (अ/उ)